प0 सं0–14 / डी0एल0ए0 (एन0पी0जी0सी0)–औरंगाबाद–184 / 2013–2836 / रा0, पटना–15

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
भू–अर्जन निदेशालय
बिहार , पटना

अधिघोषणा

तारीख... ~~/.../2013~~ – 06-12-13

सं0...आर0

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि गाँव– बिलौटी थाना संख्या–33, परगना– **कुटुम्बा** थाना– **नबीनगर** जिला– औरंगाबाद में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है इसलिए, इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव– बिलौटी के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप के कम वेश, जो 7.37 एकड़ के बराबर होता है और जिसकी अधिकृत खेसरा सं0 एवं चौहद्दी निम्न प्रकार है:–

अधिकृत खेसरा सं0 –

पूर्ण – 258, 542 एवं 543

अंश – 255, 256, 257, 401, 402, 410, 484, 485, 486, 489, 490, 494, 498, 500, 521, 536, 537, 540 एवं 541

उतर :– ग्राम– परसा थाना नं0– 22

पूरब :– प्लॉट 259, 644 एवं 543

दक्षिण :– ग्राम सल्या थाना नं0– 49

पश्चिम :– 236, 254, 255, 490, 499, 500, 540, 637

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यक्ता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना , हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो ले लिए जायेंगे यह घोषणा अधिनियम 1894 की धारा 6 और अधिनियम 1894 की धारा 3 के खंड (1) के उपबंधो के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

समाहर्त्ता
औरंगाबाद

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0 / –
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञा0 सं0–14/डी0एल0ए0 (एन0पी0जी0सी0)–औरंगाबाद–184/13–2836 /रा0, पटना–15, दिनांक–06/12/2013

प्रतिलिपि 1.	निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि 2.	प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, औरंगाबाद को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि 3.	आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि 4.	समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि 5.	जिला अवर निबंधक औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि 6.	आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

ह0/- 5/12/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।